न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनीता मीणा R.A.S. दायर तारीख : 01.05.2025
राजस्व वाद संख्या : 56/2025
देवदानी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 बनाम रामेश्वरलाल वगै0

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :– श्री प्रभूदयाल डिसानिया अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री मुकेश कुमार वर्मा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण सं0 1 व 2

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 25/6/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी वाद अन्य प्रतिवादी की तलबी में नियत है ओर वादी आदेश 7 नियम 9 जा0दी0 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहा है। वादी ने उनवानी वाद पत्र के पेरा सं0 2 में अंकित किया कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 व सांवल्या उर्फ सावंरमल पुत्र रामू के द्वारा वाद पत्र की मद सं0 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्सें में से 31 बीघा 16 विस्वा भूमि सम्पूर्ण को जरिये इकरारनामा दिनांक 14.11.2005 के द्वारा वादी को बेचान कर मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था उपरोक्तानुसार तथ्यों से वादग्रस्त भूमि का प्रकरण बातिल बेअसर इकरारनामा दिनांक 14.11.2005 के भूमि क्रय विक्रय का है जिसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाना है जो धारा 88 रा0टी0ऐ की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है वाद पत्र के पेरा सं0 2 में भी यह अंकित किया है कि उक्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जा चुकी है तथा वाद पत्र के अनुतोष पेरा सं0 13(अ) में वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष मांगा गया है जो की धारा 88 रा0टी0ऐ0 1955 की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए भी वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2009(2) पेज सं0 727, आर.आर.टी. 2003(2) पेज सं0 1157 तथा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नं0 20718/2012 सुसंगत है। उनवानी वाद में वादी वाद प्रस्तुत करने की दिनांक को देवदानी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर रजि0 नं0 152/एल.आर का जरिये अध्यक्ष/मंत्री/अधिकृत प्रतिनिधि होने के सक्षम प्राधिकरण के प्रमाण पत्र/दस्तावेजी साक्ष्य तथा देवदानी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर रजि0 नं0 152/एल.आर के अस्तित्व में होने का सक्षम प्राधिकरण का प्रमाण पत्र व ब्लैक लिस्टेड नहीं होने के तथा जयपुर ग्रामीण में देवदानी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर रजि0 नं0 152/एल.आर द्वारा कृषि भूमि पर बिना भू–संपरिवर्तन आवासीय कॉलोनी विकसित करने का प्राधिकार होने के दस्तावेज तथा वादग्रस्त भूमि में भूखण्ड धारियों की लिस्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा है तथा अतिआवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित करने, आदेश 7 नियम 4, 6 सीपीसी तथा धारा 80 सीपीसी के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहा है अर्थात् वादी वाद पत्र में विवादित सम्पति में अपने निहित हित का हिस्सा दर्शित करने, वाद पत्र में परिसीमा अवधि की छूट पाने, वाद

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

पत्र में चाहे गये पृथक और सुभिन्न आधारों पर अनुतोष का पृथक और सुभिन्न कथित करने तथा धारा 80 सीपीसी की छूट प्राप्त करने में असफल रहा है। वाद पत्र के मद सं0 3 में अंकित दिनांक 28.04.2025 को वाक्या सम्पूर्ण वाद पत्र के कथन से प्रथम दृष्टया सरासर झूठा साबित होता है इसलिए उनवानी वाद पत्र में वाद हैतुक प्रकट नहीं होने, विधि द्वारा वर्जित होने, दो प्रतियो में प्रस्तुत नहीं करने तथा आदेश 7 नियम 9 जा0दी0 के उपबंधो का अनुपालन करने में असफल रहने तथा वाद के कथन से प्रथम दृष्टया वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने तथा उनवानी वाद मियाद बाधित होने व पर्याप्त कोर्ट फीस पर नहीं होने व मान्य न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3. अप्रार्थी/वादी ने प्रा0पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब में अंकित किया कि मान्य न्यायालय न्यायिक दृष्टातों के परिपेक्ष में उनवानी प्रकरण पत्रावली सुनवाई के क्षेत्राधिकार के अभाव में वापस लौटाता है तो सक्षम सिविल न्यायालय में प्रकरण पत्रावली के प्रस्तुत किये जाने की लिबर्टी देते हुये वापस लौटाये तो वादी को कोई आपति नहीं है। वादी द्वारा सहज उपलब्ध सभी दस्तावेज पेश कर दिये गये है तथा वादी को उक्त मद में उल्लेखित दस्तावेज जैसे ही उपलब्ध होगे प्रकरण पत्रावली में साक्ष्य की स्टेज पर अविलम्ब पेश कर दिये जायेगे। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा पेश प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी ने मुख्य आधार यह लिया है कि विवादित आराजी जो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 व सांवल्या उर्फ सांवरमल पुत्र रामू की थी को जरिये इकरारनामा दिनांक 14.11.2025 को वादी ने खरीद की है तथा मौके पर कब्जा है एवं विक्रय के प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि भी प्रतिवादीगण को अदा कर दी गई है वादी द्वारा यह वाद धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है इकरारनामा के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है वादी इस सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय से ही रिलिफ प्राप्त कर सकता है इसलिए वादी का वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 25/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल
कि0रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

बइजलास :– सुनीता मीणा आर.ए.एस.

देवदानी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 बनाम रामेश्वरलाल वगै0

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 56/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री प्रभूदयाल डिसानिया व हाजरी श्री मुकेश कुमार वर्मा मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

(सुनीता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल
कि0रेनवाल

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल